महत्वपूर्ण

संख्या-01/2025/60/तीस-4-2025/1433/23

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2025

विषय : राज्य स्तर पर ट्रैक्टर-ट्राली के पंजीयन की प्रक्रिया, ट्राली विनिर्माताओं का पंजीयन, ट्राली निर्माण के लिए तकनीकी मानकों का निर्धारण एवं ट्राली के निर्माण में सड़क सुरक्षा मानकों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-907सा0प्र0/2023-124टी0आर0/2022, दिनांक 25.09.2023 एवं पत्र संख्या-751सा0प्र0/2024-124टी0आर0/2022, दिनांक 23.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विषयगत प्रकरण पर स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुतियों के सम्बन्ध में शासन से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त अनुरोध के क्रम में विषयगत प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तदधीन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के संगत प्राविधानों के आलोक में प्रदेश में ट्रैक्टर-ट्राली के पंजीयन की प्रक्रिया, ट्राली विनिर्माताओं का पंजीयन, ट्राली निर्माण के लिए तकनीकी मानकों का निर्धारण एवं ट्राली के निर्माण में सड़क सुरक्षा मानकों को सम्मिलित किये जाने के प्रयोजनार्थ जनहित में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

ट्रैक्टर-ट्राली के पंजीयन की प्रक्रिया, ट्राली विनिर्माताओं का पंजीयन, ट्राली निर्माण के लिए तकनीकी मानकों का निर्धारण एवं ट्राली के निर्माण में सड़क सुरक्षा मानकों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

(1) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-2 में "एग्रीकल्चर ट्रैक्टर" व "एग्रीकल्चर ट्रेलर" को निम्नवत परिभाषित किया गया हैः-

(b) "agricultural tractor" means any mechanically propelled 4-wheel vehicle designed to work with suitable implements for various field operations

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

and/or trailers to transport agricultural materials. Agricultural tractor is a non-transport vehicle,

(c) "agricultural trailer" means a trailer generally left uncovered with single/double axle construction which is coupled to an agricultural tractor by means of two hooks and predominantly used for transporting agricultural materials;

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर एवं एग्रीकल्चर ट्रेलर की दी गयी परिभाषा एवं एग्रीकल्चर ट्रेलर के सम्बन्ध में निर्गत ए0आई0एस0: 112 "Code of Practice for Construction and Approval of Agricultural Trailers" में किये गये प्राविधानों से स्पष्ट है कि स्थानीय निर्मित ट्रेलर का उपयोग कृषि कार्यों हेतु ही किया जाना उचित है। अतः इसका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाना समीचीन नहीं होगा।

(2) ए0आई0एस0: 112 में एग्रीकल्चर ट्रेलर के सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये गये हैं। स्थानीय निर्मित ट्रेलर की श्रेणी व माप का निर्धारण भी इसी आधार पर किया जाएगा। ए0आई0एस0: 112 में एग्रीकल्चर ट्रेलर की चार मॉडल (Model) R1, R2, R3 व R4 निर्धारित की गयी हैं। अतः ए0आई0एस0: 112 में से तीन मॉडल क्रमशः R2, R3 व R4 हेतु निर्धारित मॉडल का एग्रीकल्चर ट्रेलर में पंजीयन किया जाएगा। ए0आई0एस0: 112 में R2 मॉडल हेतु एक एक्सल प्राविधानित है। R2 मॉडल के निर्माण हेतु दो एक्सल का निर्धारण किया जायेगा। किसी भी माडल के एक एक्सल ट्राली का निर्माण नहीं किया जायेगा। अतः स्थानीय निर्मित ट्रेलर हेतु भी मॉडल व माप निम्नवत् निर्धारित किया जायेगा:-

क्र०सं०	विवरण	R2 मॉडल	R3 मॉडल	R4 मॉडल
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	GVW	6 टन तक	6-9.3 टन तक	10-12.56 टन तक
2	बॉडी की हुक को छोड़कर अधिकतम लम्बाई	4.0 मीटर	5.00 मीटर	6.7 मीटर
3	अधिकतम चौड़ाई	2.00 मीटर	2.5 मीटर	2.5 मीटर
4	ट्रेलर की ऊंचाई (जमीन से)	2.2 मीटर	2.2 मीटर	2.2 मीटर
5	एक्सल की संख्या	डबल एक्सल	डबल एक्सल	डबल एक्सल
6	टायरों की संख्या	04	04	08 (प्रति एक्सल 04 टायर)
7	टायर साईज	8.25×20 या 9.00×20	9.00×20	9.00×20

(3) जीवीडब्लू की गणना कार्यालय परिवहन आयुक्त के परिपत्र संख्या-2023 सा0प्र0/2000-32सा0प्र0/2000, दिनांक 03.08.2000 के अनुसार 750 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जायेगी तथा खाली ट्रेलर की तोल (धर्मकांटे की पर्ची) के अनुसार यूएलडब्लू अंकित किया जायेगा।

(4) सामान्यतः स्थानीय निर्मित ट्रेलर में विभिन्न प्रकार की बॉडियां संचालन में प्रचलित हैं। परिपत्र दिनांक 03.08.2000 एवं 18.08.2000 द्वारा निर्गत निर्देशों में स्थानीय निर्मित ट्रेलर की बॉडी के प्रकार का उल्लेख नहीं है तथा जनसामान्य द्वारा निम्न प्रकार की बॉडी की ट्रेलर संचालित की जा रही हैः -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) ओपन बॉडी टाइप ट्रेलर,

(ii) वाटर टैंकर निर्मित टाइप ट्रेलर,

(iii) प्लेटफार्म टाइप ट्रेलर ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निर्मित ट्रेलर हेतु उपरोक्त बॉडी टाइपों को निर्धारित किया जाएगा।

(5) सुरक्षा मानको के दृष्टिगत स्थानीय निर्मित ट्रेलर में निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी अनिवार्य की जायेगी:-

(i) रियर व साइड अन्डर प्रोटेक्शन डिवाइस।

(ii) बैक लाइट फिटिंग एवं बैक लाइट के कनेक्शन की व्यवस्था ट्रैक्टर से की जायेगी।

(iii) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-104 के प्राविधान के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप और कंटूर मार्किंग।

(6) स्थानीय ट्रेलर विनिर्माता द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-172 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे विनिर्माता जिनके द्वारा समस्त प्राविधान पूर्ण किये जायेंगे तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर अनुमोदन प्रदान करते हुए कोड आवंटित किया जायेगा। निर्माता कोड चार अंक का होगा, जिसमें प्रथम अक्षर Alfabet होगा, यथा- A,B,C,D,E.....(IO को छोड़कर) तथा शेष अंक 001, 002,.....999 के होंगे। 999 अंक पूर्ण हो जाने पर अगला Alfabet अंकित किया जायेगा।

(7) ट्रेलर विनिर्माता द्वारा निम्नानुसार ट्रेलर पर 17 अंकों/शब्दों की चेसिस संख्या अंकित करायी जायेगीः-

(i) चेसिस संख्या के प्रथम दो अक्षर स्टेट कोड - UP होगें।

(ii) प्रथम दो अक्षर के पश्चात ट्रेलर विनिर्माता को परिवहन आयुक्त कार्यालय से आंवटित चार अंक का विनिर्माता कोड अंकित किया जायेगा, जिसमें एक अक्षर व 03 अंक होंगे। यथा- A001।

(iii) इसके पश्चात दो अक्षर/अंक का प्रस्तर-(2) के अनुरूप स्थानीय निर्मित ट्रेलर का मॉडल R2, R3 व R4 अंकित किया जायेगा।

(iv) तदोपरान्त दो अक्षर/अंक ट्रेलर के एक्सल में टायर की संख्या के आधार पर 04 टायरों के लिए 14 तथा 08 टायरों के लिए 18 अंकित किये जायेंगे।

(v) इसके पश्चात 17 अंको/अक्षरों की चेसिस संख्या में बायें से 11 वां अक्षर निर्माण वर्ष के लिए तथा बायें से 12 वां अक्षर निर्माण माह के लिए निम्नवत अंकित किया जायेगाः-

वर्ष	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M

(vi) इसके पश्चात् पाँच अंकों की सीरीज निर्माण के क्रमवार अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ- किसी ट्रेलर पर निर्माण वर्ष अक्टूबर, 2022 व स्थानीय ट्रेलर विनिर्माता कोड A001 तथा ट्रेलर R3 मॉडल का एवं डबल एक्सल 04 टायर का है तो चेसिस संख्या निम्नानुसार होगी:-

UPA001R3T4NK12345

उक्तानुसार चेसिस संख्या ट्रेलर के बायीं ओर लान्ग मेम्बर पर दोनों धुरियों के मध्य में अंकित करायी जायेगी।

(8) ए०आई०एस० :112 के क्लॉज-5 में उल्लिखित है कि ट्रेलर ए०आई०एस० :043 में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप पार्किंग ब्रेक व सर्विस ब्रेक से युक्त होंगे। ए०आई०एस० :112 में एग्रीकल्चर ट्रेलर के अनुमोदन के सम्बन्ध में मानक निर्धारित हैं। एग्रीकल्चर ट्रेलर का अनुमोदन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-126 में निर्धारित किसी प्रोटोटाइप एजेन्सी द्वारा नहीं कराया गया है। अतः वर्तमान में ब्रेक के सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन कराकर पृथक से विचार किया जायेगा।

(9) ट्राली पंजीयन हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-47 में निर्धारित प्राविधान के अनुसार ट्रॉली विनिर्माता होमोलोगेशन पोर्टल पर ट्राली का विवरण अपलोड करेगा तथा ट्राली का विनिर्माता/डीलर (विक्रेता) वाहन पोर्टल पर निम्न प्रपत्र अपलोड करेगा:-

(i) ट्राली निर्माता/डीलर द्वारा सेल लेटर, प्रारूप-21 के अनुरूप,

(ii) ट्राली निर्माता/डीलर द्वारा बिल (इनवॉइस)

(iii) ट्राली निर्माता द्वारा फॉर्म 22 पर 'रोड वर्दनिस सर्टिफिकेट'

(iv) वाहन स्वामी के पते का प्रमाण-पत्र

(v) यूएलडब्लू के लिए धर्मकांटे की पर्ची

(vi) वैध बीमा प्रमाण-पत्र।

वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन के समय पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष उक्त प्रपत्र एवं परिवहन कार्यालय में ट्रेलर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-50 में निर्धारित मानक के अनुरूप स्थानीय ट्रेलर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिक्स की जानी होगी। उक्त नियमावली के नियम-51 में वाहन विनिर्माता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिक्स कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। स्थानीय ट्रेलर विनिर्माता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिक्स कराने के लिए अधिकृत किया जायेगा।

(11) प्रदेश में पंजीयन की व्यवस्था अधिकृत डीलर के माध्यम से निर्धारित है। अतः स्थानीय ट्रेलर विनिर्माता अथवा उसके डीलर को इस कार्य हेतु अधिकृत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-34 के अनुसार स्थानीय निर्मित ट्रेलर विनिर्माता/डीलर को ट्रेलर विक्रय हेतु सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(13) प्रदेश में अनुमोदित ट्राली विनिर्माता को 'वाहन होमोलोगेशन पोर्टल' पर स्टेट एडमिन के स्तर से आवश्यक प्रपत्र/विवरण अपलोड करने हेतु आई०डी० व पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

(14) सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत संचालन हेतु स्थानीय निर्मित ट्रेलर की अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की जानी होगी।

(15) ट्रेलर के प्रस्तावित नये प्रावधान लागू होने पर पुराने निर्मित ट्रेलर, जो उक्त प्राविधानों के अनुसार निर्मित होंगे, का पंजीयन प्रस्तावित नये प्राविधान लागू होने की तिथि से एक वर्ष की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा।

(16) ट्रेलर विनिर्माता को प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल में अपने माडल के उत्पादन का CoP (Confirmity of Production) परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त करना होगा। COP का अनुमोदन प्राप्ति के लिये 03 वर्ष की समाप्ति से एक माह पूर्व निर्मित किये जा रहे ट्रेलर माडलों के विवरण के साथ आवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय में करना होगा। परिवहन आयुक्त द्वारा ट्रेलर विनिर्माता के कार्यस्थल का निरीक्षण कराया जा सकता है।

(17) ट्रेलर का उपयोग केवल कृषि कार्य हेतु ही किया जायेगा।

3- कृपया उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2025/60(1)/तीस-4-2025/1433/23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उ0प्र0।
4. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0 पी0 सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in